

17.2.21

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त को पार
पार आवाज दिलाई गई। ना तो वकील अपीलान्त
उपस्थित, ना ही अपीलान्त उपस्थित आये।
अतः अपील अदम हाजरी अदम पंरवी में
खारिज की जाती है। पत्रावली कैसल नुमा
होकर नम्बर से कम हो। दालिल दफ्तरे हो।

भू-प्राप्त अधिकारी एवं पदेन
राज्य अपील अधिकारी, जलवर